

संदर्भ: आईआरडीएआई/आरईआईएन/सीआईआर/विविध/112/6/2022

Ref: IRDAI/REIN/CIR/MISC/112/6/2022

दिनांकः 03-06-2022 Date: 03-06-2022

परिपन्न Circular

प्रति /To, सभी एफआरबी के सीईओ (लायड्स इंडिया सहित) CEO of all FRBs (including Lloyd's India)

विषयः एफआरबीएस/लायड्स इंडिया द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण

Subject: Public Disclosures by FRBs/Lloyd's India

संदर्भःपरिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/256/09/2021 दिनांक 30-09-2021 और आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/99/5/2022 दिनांक 12-05-2022

Ref: Circulars reference no. IRDAI/F&A;A/CIR/MISC/256/09/2021 dated 30-09-2021and IRDAI/F&A/CIR/MISC/99/5/2022 dated 12-05-20221.

प्राधिकरण को विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस) और लायड्स इंडिया के सार्वजिनकप्रकटीकरणों की अपेक्षाओं के अनुपालन के युक्तिकरण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि वेखुदरा ग्राहकों के साथ सीधे व्यवहार नहीं करते हैं। तदनुसार, सार्वजिनक प्रकटीकरणों संबंधीनिम्नलिखित अपेक्षाओं की समीक्षा की गई है और निम्नानुसार आशोधन किये गये हैं:

i) 'एनएल-5 दावा अनुसूची' और 'एनएल-20 विश्लेषणात्मक अनुपात अनुसूची' कासार्वजनिक प्रकटीकरण।

सार्वजिनक प्रकटीकरणों के अंतर्गत उपर्युक्त फार्मी को अपलोड करने की आवश्यकता नहींहै। तथापि, उपर्युक्तफार्मेट प्राधिकरण को ई-मेल के द्वारा reinsurance@irdai.gov.in को प्रेषित किया जाना चाहिए।

ii) 'एनएल-23 – शोधन-क्षमता मार्जिन-जीआई-टीए, एनएल-24 – शोधन-क्षमता मार्जिन- जीआई-टीआर, एनएल-25 – शोधन-क्षमता मार्जिन – जीआई-एसएम- सारणी ।ए औरएनएल-26 – शोधन-क्षमता मार्जिन – जीआई-एसएम-सारणी ।बी' का सार्वजिनकप्रकटीकरण।उपर्युक्त फार्म छमाही अपलोडिंग की वर्तमान अपेक्षा के बदले सार्वजिनक प्रकटीकरण केअंतर्गत वेबसाइट पर वार्षिक रूप से प्रकाशित किये जाएँगे।

- 2. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन जारी किया जाता है।
- 3. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
- 1. The Authority has received representations on the rationalization of compliance requirements on Public Disclosures of Foreign Reinsurance Branches (FRBs) and Lloyd's India as they are not directly dealing with retail customers. Accordingly, the following requirements on Public Disclosures have been reviewed and modifications have been made as under:
- i) Public disclosure of 'NL-5 Claims Schedule' and 'NL-20 Analytical Ratios Schedule': Uploading of the above stated forms is not needed under Public Disclosures. However, the said formats should be sent to the Authority bye-mail at reinsurance@irdai.gov.in
- ii) Public disclosure of 'NL-23 Solvency Margin-GI-TA, NL-24 -Solvency Margin- GI-TR, NL-25 Solvency Margin GI-SM-TABLE IA and NL-26 Solvency Margin GI-SM-TABLE IB':

The above stated forms shall be published annually on the website under Public Disclosure in lieu of the current requirement of half yearly uploading.

- 2. This circular is issued under section 14(2)(e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.
- 3. This circular shall come into force with immediate effect.

एस पी

(एस पी चक्रवर्ती / S P Chakraborty)

मुख्य महाप्रबंधक (पुनर्बीमा) / Chief General Manager (Reinsurance)